निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 518)   पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

———————

अधिसूचना

21 मई 2013

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–08–11/2011/612—पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखण्ड में कोयरपट्टी स्थल पर रिग बांध के कोयरपट्टी कटइंड के अपस्ट्रीम में दिनांक 31.7.11 को क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच हेतु संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) के पत्रांक 2045 दिनांक 4.8.11 द्वारा द्विसदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें श्री श्रीधर सी0 जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया एवं श्री बैजु प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को मनोनित किया गया। समिति द्वारा दिनांक 24.10.11 को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, वाल्मीकिनगर सम्प्रति मुख्य अभियन्ता, सिवान से निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 198 दिनांक 23.2.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

(1) अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में स्थल निरीक्षण कर विवेकपूर्ण यथोचित दिशा निर्देश नहीं दिये जाने के कारण उक्त स्थल पर संपादित कटाव निरोधक कार्य अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) के पत्रांक 1065 दिनांक 27.4.11 एवं पत्रांक 1312 दिनांक 23.5.11 में दिये गये निदेशों से किसी के अनुरूप नहीं कराये गये जिससे स्पष्ट होता है कि स्थल निरीक्षण/पर्यवेक्षण का पूर्ण अभाव था।

(2) पी0 डी0 रिंग बांध के क्षतिग्रस्त भाग में वांछित बोल्डर की मात्रा से कम बोल्डर दिये जाने, स्लोप पिचिंग कार्य में केटेड बोल्डर के स्थान पर Loose Boulder Pitching किये जाने तथा Slope Pitching कार्य में Poor Work man slip पाये जाने के लिए।

(3) दिनांक 24.7.11 से ही पी0 डी0 रिंग बांध स्थल पर कटाव होने की एवं कार्य कराये जाने की सूचना दिये जाने के बावजूद स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट दिशा निदेश न दिये जाने के लिए।

उक्त आरोपों के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव श्री चौधरी अपने पत्रांक 1522 दिनांक 16.5.12 द्वारा विभाग की समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त आरोप सं0–1 एवं 2 के संदर्भ में प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार किया गया किन्तु आरोप सं0–3 के संदर्भ में इनके द्वारा स्थल पर कटाव की सूचना दिये जाने के बावजूद स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट दिशा निर्देश न दिये जाने के संबंध में इनका उत्तर साक्ष्य विहीन माना गया। अतः स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए श्री चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, वाल्मीकिनगर (मोतिहारी) के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

1. एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

तदनुसार उक्त निर्णय श्री चौधरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 518-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in